कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 27/2020 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट
निवासी सरदारगढ़िया, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा।

—प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—20.08.2020

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से कोई सूचना नहीं मिली है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2020 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो नहीं की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official